न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, चितौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2012 (रा.गु.नि.)
पंजीयन दिनांक 18.11.2012

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

श्री निसार मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद मुसलमान निवासी कच्चाी बस्ती, थाना निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–गैरसायल

कार्यवाही : अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975

उपस्थिति : 1– अभियोजन अधिकारी, राजकीय पैरोकार
2–श्री राकेश कुमार जैन, अधिवक्ता गैरसायल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.07.2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि गैरसायल कच्ची बस्ती, थाना निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ़ का निवासी होकर उक्त व्यक्ति आपराधिक प्रवृति का है। दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से आम जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। अतः गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम, 1975 धारा 3 के तहत कार्यवाही की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया जाकर नोटिस सुनाया गया। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश कुमार जैन द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया। गैरसायल ने नोटिस सुन–समझ कर आरोप अस्वीकार किये एवं जवाब प्रस्तुत कर ट्रायल चाही जिससे गैरसायल को आगामी तारीख पेशी पर उपस्थित

होने हेतु जमानत एवं मुचलके प्रस्तुत करने के आदेश दिये। गैरसायल द्वारा आदेश की पालना में मुचलका एवं जमानत पत्र प्रस्तुत किये जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा साक्ष्य पैरवी में श्री हरिसिंह, हाल स. उ. नि. थाना शंभूपुरा, चित्तौड़गढ़, श्री मोहनलाल स. उ. नि., श्री सज्जनसिंह हाल सेवानिवृत उप निरीक्षक, श्री कमलप्रसाद हाल पुलिस निरीक्षक, महिजला थाना करौली, श्री रामसिंह हाल स. उ. नि. डबोक एवं श्री भगवानलाल हाल स. उ. नि. थाना भैंसरोड़गढ़ के बयान कराये।

अधिवक्ता गैरसायल ने गैरसायल की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करके सीधे बहस हेतु निवेदन किया।

अभियोजन अधिकारी, पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल आपराधिक प्रवृति का व्यक्ति है, दिनों–दिन इसकी आपराधिक गतिविधियां बढती ही जा रही है। यह व्यक्ति जुआ सट्टा खेलने संबंधी अपराध करने का आदि है। इस व्यक्ति के भय से जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी व्यक्ति इसके विरूद्ध गवाही देने का साहस ही नही करता है। गैरसायल के विरूद्ध वर्ष 2010 से वर्ष 2012 तक 4 प्रकरण एवं 1 इस्तगासा दर्ज हुआ हैः–

1–प्रकरण संख्या 275/2011 13 आरपीजीओ एक्ट
2–प्रकरण संख्या 445/2011 13 आरपीजीओ एक्ट
3–इस्तगासा संख्या 04/2010 3/4 आरपीजीओ एक्ट
4–प्रकरण संख्या 164/2012 13 आरपीजीओ एक्ट
5–प्रकरण संख्या 300/2012 13 आरपीजीओ एक्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गैरसायल को उक्त चारों ही प्रकरणों में सजा हो चुकी है तथा 01 इस्तगासा जैर ट्रायल है। उक्त प्रकरण में उपस्थित गवाहान ने भी अपने बयानों में गैरसायल का आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होना व किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके भय के कारण साक्ष्य नही देने के संबंध में इस्तगासे में अंकित तथ्यों की पुष्टि की है। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर उसे गुण्डा घोषित करने के पर्याप्त आधार उपलब्ध है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित करते हुए इस जिले से 6 माह की अवधि के लिए निष्काषित करने के आदेश फरमाये जावे।

गैरसायल के अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि गैरसायल ने न तो अपराध कारित किये हैं और न ही वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है। गैरसायल के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला न तो विचाराधीन है एवं न ही निर्णित हुआ है जिससे आम जनता में भय व्याप्त हो, या आम जनता की सम्पत्ति का नुकसान हो रहा हो। गैरसायल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 15, 17 व अध्याय 22 के अधीन ऐसी कोई अवधारण करने का कारण नहीं है। पुलिस ने

प्रकरण संख्या 30/2012 (रा.गु.नि.)
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला चित्तौड़गढ़ बनाम श्री निसार मोहम्मद पिता चांद मोहम्मद मुसलमान निवासी कच्ची बस्ती, थाना निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौड़गढ़

गैरसायल को झूठा फंसाकर अनावश्यक मुकदमें प्रस्तुत किये हैं। गैरसायल के विरूद्ध दर्ज उक्त प्रकरण 13 आरपीजीओ के होकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वयं जुर्म स्वीकार किया। वर्ष 2012 के बाद उसके विरूद्ध किसी भी धारा के अपराधिक मामले दर्ज नही हुए है। गैरसायल गरीब व्यक्ति होकर मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का बडी मेहनत से शान्तिपूर्वक भरण पोषण कर रहा है। मोहल्ले में कभी कोई शान्ति भंग नही की है, जिससे मोहल्ले में विपरीत प्रभाव पड़ता हो। गैरसायल के विरूद्ध किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई शिकायत पुलिस में दर्ज नही कराई है। गैरसायल के माता–पिता वृद्ध होकर उनकी सेवा करने वाला उसके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः सहानुभूति का रूख अपनाते हुए प्रकरण खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं उपलब्ध अन्य अभिलेखों का गहनताा से अवलोकन किया। गैरसालय के विरूद्ध वर्ष 2010 से 2012 के बीच कुल 04 आर.पी.जी.ओ. एक्ट के प्रकरण दर्ज हुए हैं चारों ही प्रकरण में गैरसायल को सजा हुई है। गैरसायल के विरूद्ध उक्त चारों प्रकरण वर्ष 2012 तक दर्ज होकर चारों ही प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है तथा लम्बित इस्तगासे के संबंध में गैरसायल को सजा होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया है। वर्ष 2012 के बाद गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नही हुआ है तथा इसके बाद गैरसायल का जिले एवं उसके किसी भाग में धारा (2) के खण्ड (ब) के उपखण्ड 1 से 8 में वर्णित कार्य करने में रत होना एवं उनके दुष्प्रेरण में लगा हुआ होना भी नही पाया गया।

अतः गैरसायल को भविष्य में इस प्रकार के कृत्य नहीं करने की चेतावनी देते हुए, उसके वृद्ध माता–पिता एवं परिवार की परिस्थितियों को मध्यनजर रख, सहानुभूति रखते हुए प्रार्थी द्वारा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम,1975 धारा 3 के तहत गैरसायल को गुण्डा घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत इस्तागासा खारीज किया जाता है।

'निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।'

(इन्द्रजीत सिंह)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official